International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 10, October- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

डॉ0 राममनोहर लोहिया एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय के विचार में 'अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समस्या'

तरुण राय, शोध छात्र, इतिहास विभाग
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक वर्ग की समस्या को लेकर डॉ0 लोहिया सचेत थे। उनका मानना था कि दोनों वर्गों के बीच कटुता का कारण दोनों वर्गों में एक दूसरे के प्रति भ्रामक विचार है। एक दूसरे के प्रति गलत दृष्टिकोण के कारण ही अन्ततः भारत का विभाजन हो गया। उनका यह भी कहना है कि इतिहास की त्रुटिपूर्ण व्याख्या ने भी हिन्दू, मुस्लिम के बीच में गलत दृष्टिकोण का विकास किया। डॉ0 लोहिया का विचार था कि ''भारत में साम्प्रदायिकता के भयावह विष ने राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया है। हिन्दू एवं मुसलमानों के बीच कटुतापूर्ण सम्बन्धों का प्रमुख कारण दोनों का एक दूसरे के प्रति भ्रामक विचार है। हिन्दू सोचते हैं कि मुसलमानों ने अपने शासनकाल में उनको सताया और उन पर अत्याचार किया तथा मुसलमान सोचता है कि पहले उसका शासन था और वर्तमान में उसके बुरे दिन हैं।''[1]डॉ0 लोहिया का कहना है कि दोनों के एक दूसरे के प्रति गलत दृष्टिकोण भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बना। उनके शब्दों–''हिन्दू–मुसलमान रिश्तों के पिछले आठ सौ वर्षों में हिन्दू और मुसलमान दोनों लगातार पृथक भाव एवं समीपता के लुका छिपी के शिकार रहे हैं, जिससे एक राष्ट्र के प्रति उनकी भावनात्मक एकाग्रता खण्डित रही है।''[2] डॉ0 लोहिया का कहना है कि धर्म को हिन्दू एवं मुसलमानों के बीच झगड़े की जड़ नहीं बनना चाहिए। यद्यपि दोनों धर्मों के बीच पूर्ण समानता की बात नहीं हो सकती लेकिन दोनों के बीच निकट समानता लाने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। उनके शब्दों में ''हिन्दू चाहे जितना उदार हो जाए, फिर भी अपने राम एवं कृष्ण को मोहम्मद से कुछ थोड़ा अच्छा ही समझेगा और मुसलमान चाहे जितना उदार हो जाए अपने मोहम्मद को राम एवं कृष्ण से थोड़ा अच्छा समझेगा ही लेकिन .....उन्नीस बीस से ज्यादा का फर्क न रहे तो दोनों का मन ठीक हो सकता है।''[3] डॉ0 लोहिया ने लिखा है कि ''इतिहास की त्रुटिपूर्ण व्याख्या ने भी हिन्दू एवं मुसलमानों के मध्य कटुता बढ़ाई है। अतः दोनों के बीच सम्बन्धों के पुनर्स्थापना के लिए जरुरी है कि इतिहास की गयी तथा निष्पक्ष व्याख्या हो।''[4]उनका कहना है कि–''मेरा वश चलता तो मैं हर हिन्दू को सिखाता कि रजिया, जायसी, शेरशाह उसके पुरखें हैं। उसी समय हर मुसलमान को सिखाया कि गजनी, गोरी और बाबर उसके पुरखे नहीं वरन् हमलावार हैं।''[5]उसी प्रकार मुसलमानों से उनका कहना था कि ''वे हिन्दुस्तान के प्रति वफादार रहें तथा हिन्दुओं तथा हिन्दी से नफरत न करें। वो कहते हैं–''जिस दिन हिन्दुस्तान के मुसलमान सच्चे दिल से राजभक्त हो जायेंगे उसी दिन से पाकिस्तान का ढ़हना शुरु हो जाएगा।''[6]उनका कहना है कि ''मुसलमान जैसी चीज नहीं रहनी चाहिए राजनीति में। जैसे हिन्दू टूटते हैं अलग–अलग पार्टियों में वैसे, मुसलमानों को भी टूटना चाहिए।''[7] स्पष्ट है कि डॉ0 लोहिया देश के सभी धर्म, सम्प्रदाय तथा वर्ग में एकता की स्थापना कर राष्ट्र का समग्र विकास करना चाहते हैं। वे मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर देखना चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि हिन्दुस्तान के मुसलमान के प्रति राजभक्त होने चाहिए। उनकी धार्मिक चेतना अलग हो सकती है लेकिन उनकी राष्ट्रीय चेतना एक होनी चाहिए। वो भारत पर मुस्लिम आक्रान्ताओं का विरोध करते हैं तथा उनका मुसलमानों से आग्रह था कि भारतीय मुसलमान स्वयं को बाबर, तैमूर, गौरी या गजनी का वंशज न माने वरन् उन्हें एक हमलावर की तरह देखें।

दीनदयाल उपाध्याय मुस्लिम समस्या को केवल एक सांप्रदायिकता की समस्या नहीं मानते। वे अराष्ट्रीयतावादी, पृथकतावादी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की समस्या मानते है। उन्हें मुसलमानों से शिकायत उनके मजहब के कारण नहीं वरन् मजहब के साथ ही उनके द्वारा स्वीकार किये गए अलगाववादी मानसिकता है, इनके अनुसार ''इस्लाम एक मत है और मतों के प्रति हम सदा ही सहिष्णु रहे है; एकम् सद् विप्रा बहुधा वदन्ति। मत भिन्न होने से राष्ट्रीयता भिन्न नहीं हो जाती। यदि आज

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 10, October- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

हिन्दू मुसलमान बन जाये तो क्या उसकी भाषा बदल जाएगी? उसके पूर्वज बदल जाएंगे? उसका इतिहास बदल जाएगा? उसकी मातृभूमि को पदकांत करनेवाला गजनी और गोरी तो आक्रामक ही रहेंगे, पर भारत का मुसलमान बदल गया। वह नल–दमयंती की प्रेमकथा छोड़कर शीरी–फरहाद के गीत गाने लगा। कोयल की कूक की बजाय उसे बुलबुल की तान याद आने लगी। वह हनुमान और भीम की वीरगाथाओं के स्थान पर रूस्तम और सोहराब के गीत गाने लगा। गंगा और यमुना के पानी में उसे कोई मिठास दिखाई नहीं दी।''[8] डॉ0 लोहिया मुस्लिम सम्प्रदाय को पं0 दीनदयाल उपाध्याय की तरह अलग करके नहीं देखते है। वह भारतीय मुसलमानों को समाज के अंग मानते है। इस समाज में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार एवं प्रथाओं के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में चार पत्नी तक रखने के अधिकार की आलोचना की जानी चाहिए। भले ही कुरान में पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दिया गया हो। लोहिया का मानना था कि जब सर्वगुण सम्पन्न द्रौपदी अपने पांच पतियों के साथ समान आचरण नहीं कर सकी, तो मानव के लिए चार पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना असंभव है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय कहते है कि ''भारतीय मुसलमान भारतीय राष्ट्रीयता एवं संस्कृति को बनाये रखे। इनके अनुसार 'फारस में अल्लाह खुदा बन गया तो फिर भारत में 'अल्ला' ईश्वर क्यों नहीं बन गया? मैं मुसलमानों को सलाह देता हूं कि वे रसखान का अनुसरण करें। बाबर ने अपने आपको नहीं बदला क्योंकि वह शासक था। यदि धर्मभूमि के प्रति ही मुसलमानों को आकर्षण होता तो अरबी को अपनाना था; पर उन्होंने तो फारसी को अपनाया। अपने नाम के आगे 'खान' जोड़ने में शान समझता है, पर 'खान' शब्द तो अरबी नहीं है। यह तो मंगोलियन लोग अपने नाम के आगे लगाते थे। फिर मुसलमान की संस्कृति कहां की है? फारस की, अफगानिस्तान की तुर्कीस्तान की, अरब की, मंगोल की या सबकी खिचड़ी? यहां का मुसलमान रोजा तोड़ेगा तो खजूर के फल और छुहारे से यहां की कोई चीज उसे नही सुहाती।''[9] डॉ0 लोहिया हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे। वे समानता पर बल देते थे। प्रायः देखते थे कि जाति प्रथा के कारण ही समाज में विसंगतियां उत्पन्न है उनका मानना था कि कबीर और रसखान मुस्लिम ही थे जिन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपने विचार को रखकर हिन्दू और मुस्लिम एकता का परिचय दिया। लोहिया का मानना है कि राम और खुदा दोनों ईश्वर के ही प्रतिरूप है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि भारतीय हिन्दू और मुसलमान अपने आपको एक दूसरे से भिन्न विचार रखते है। भारतीय मुसलमान भी राष्ट्रहित के विषय में सोच विकसित कर सकता है परन्तु इसके लिए सामाजिक विद्वेष के संघटक को समाप्त करना आवश्यक होगा।

दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार– ''अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सभी देशज थे; किन्तु उनका राज्य स्वराज नहीं था। देशज मुसलमानों में उस परकीय राज की समृति एवं अकांक्षा आज भी बनी हुई है। उसी आकांक्षा का परिणाम पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने आया, ''पाकिस्तान का निर्माण क्यों हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू–मुसलमान मिलकर नहीं रह सकते थे। यह पूर्ण सत्य नहीं है। मुसलमानों के दिमाग में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना का स्वप्न अब भी है और पाकिस्तान उसको प्राप्त करने की एक सीढ़ी मात्र है।''[10] डॉ0 लोहिया का कहना था कि भारतीय इतिहास की गलत व्याख्या ने हिन्दू व मुसलमानों के बीच कटुता को बढ़ावा दिया। उनका कहना था कि अगर उनका वश चलता तो वे भारत के प्रत्येक मुसलमान को सिखाते कि गजनी, गौरी, बाबर उनके पूर्वज नहीं थे बल्कि ये सभी भारत पर आक्रमण करने वाले एक हमलावर थे। प्रत्येक मुसलमानों को इनसे घृणा करना चाहिए और भारत के प्रति वफादार रहना चाहिए।

हिन्दूमुस्लिम एकता–

पं0 दीनदयाल उपाध्याय 'हिन्दू–मुस्लिम एकता' के तत्वतः खिलाफ है। इनके अनुसार राष्ट्रीयता व अराष्ट्रीय सम्प्रदायिकता में एकता नहीं हो सकती। वे कहते हैं, ''परस्पर विरोधी चीजों में समन्वय नहीं होता। तब संघर्ष आवश्यक होता है। रावण से संघर्ष, मुसलमानों से संघर्ष, विकार से समन्वय नही।''[11] वे कांग्रेस की हिन्दू–मुस्लिम एकता नीति से असहमत है। आगे कहते हैं कि ''मुसलमानों को भारतीय बनाने

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 10, October- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

के लिए हमें अपनी गत अर्द्धशताब्दी पुरानी नीति बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस ने हिन्दू–मुस्लिम ऐक्य का प्रयत्न किया, गलत आधार पर। उसने राष्ट्र की और संस्कृति को सही एवं अनादि से चली आनेवाली एकता का साक्षात्कार करने तथा सभी को उसका साक्षात्कार करने के स्थान पर अनेकता का ही साक्षात्कार किया तथा अनेक को कृत्रिम एवं राजनीतिक सौदेबाजी के आधार पर एक करने का प्रयत्न किया। भाषा, रहन–सहन, रीति–रिवाजों की कृत्रिम ढंग से रचना की। ये प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकते थे। राष्ट्रीयता और अराष्ट्रीयता का समन्वय संभव नहीं।''[12]

उपाध्याय हिन्दू–मुस्लिम एकता विषय को ही अप्रासंगिक मानते हैं ''मुसलमान व ईसाई के समान हिंदू एक मजहब नही; हिन्दू राष्ट्रीयता है। हिन्दू उपासना पद्धतियों में 90 प्रतिशत राष्ट्रीयता व दस प्रतिशत मोक्ष प्राप्ति की बाते हैं। हिन्दू और हिन्दुस्तान एक–दूसरे से जुड़े है।''[13] इनके अनुसार जब तक हिंदू जीवित है इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। राम और अल्लाह में भेद नहीं। विष्णुसहस्रनाम में एक नाम अल्लाह का जुड़ जाने से कोई हानि नहीं है। अतः झगड़ा मजहब का नहीं, महत्वकांक्षा का है। मस्जिद से चलनेवाली राजनीति से झगड़ा है।''[14] डॉ0 लोहिया कहते हैं कि भारत का यह दुर्भाग्य ही है कि हिन्दू और मुसलमान अपने आपको जन्मतः एक दूसरे के विरोधी मानते है। धर्म और संघ मुसलमानों के प्रति जो दृष्टिकोण विकसित किया है वह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह सच्चाई है कि भारतीय मुसलमान हिन्दुओं के प्रति नफरत का भाव अपने मन में रखते हैं ये तभी तक भारतीय हिन्दुत्व की सर्वोच्चता के अधीन है जब तक कि ये उस सर्वोच्चता पर पहुंचने में सक्षम नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद तथा संविधान मुसलमानों को समाज के अन्य वर्गों से भिन्न करके व्याख्या नहीं करता है। जब हमारा संविधान ही इस सम्बन्ध में समानता का अधिकार प्रदान करता है तो, संघ को मुसलमानों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हिन्दू समाज के विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर प्रत्येक समस्या के समाधान का रास्ता तलाश करना चाहिए।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय के मतानुसार मुसलमान व ईसाइयों को भी हिन्दू समाज के समान रहना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीयता की धारा के साथ एकात्म होना चाहिए। उपाध्याय का कहना है कि 'हिन्दू–मुस्लिम एकता' के नारे में अंग्रेजों ने हमें चतुराई से फंसाया है। उन्होंने कूटनीतिपूर्वक हमारी स्वदेशियत पर चोट कर हमारा विदेशीकरण किया है। मुगलों की तुलना में अंग्रेज अधिक धूर्त थे। उन्होंने ही लोगों को हमारा नेता बना दिया। उपाध्याय हिन्दू–मुस्लिम एकतावादियों को मुस्लिमपरस्त घोषित करते हुए उन पर तीव्र प्रहार करते है। वे कहते है कि ''यदि देश की बागडोर उन नेताओं के ही हाथ में है जो देशज होते हुए भी कुतुबदीन, अलाउद्दीन, मुहम्मद तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, शेरशाह, अकबर और औरंगजेब से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं, तो यह कहना पड़ेगा कि उनका गुरूत्वाकर्षण केन्द्र भारतीय जीवन में नहीं है।''[15] इनके अनुसार हिन्दू मुस्लिम एकता का कोई प्रश्न नहीं है। मुसलमान अपने प्रकृति में परिवर्तन कर दे तो यह एकता अपने आप दृष्टिगोचर होने लगेगी। संघ में एक सवाल के जवाब में उपाध्याय जी कहते हैं, ''हिंदुत्व कोई मजहब नहीं है यह तो विविध मजहबों का साझापन है। इसाइयत और इस्लाम भी इसके अंग के नाते यहां बने रहे, इसमें कोई हानि नहीं है। वास्तव में वे केवल तभी यहां अस्तित्व में रह सकते है जबकि यहां का राष्ट्रजीवन हिन्दुत्व–प्रभावित रहे। अन्यथा ये दोनों यहां ''क्रूसेट्स'' अथवा स्पेन के इतिहास को दोहराएंगे। अतएव इन मजहबों के अनुयायियों को पृथकतावादी निष्ठा को त्याग देना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय धारा के साथ एकरस होना चाहिए।''[16]डॉ0 लोहिया ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सामाजिक दृष्टिकोण से कई सम्प्रदायों में विभक्त है। इन सम्प्रदायों में मुस्लिम एवं ईसाई अपने धर्म के प्रति कट्टरता का भाव रखते है। ये अपने धर्म के साथ विश्व के प्रत्येक व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करते है। इस स्थिति में हिन्दू सम्प्रदायों के व्यक्तियों को बिना किसी जाति–प्रथा या भेद–भाव के एक हो जाना चाहिए। ऐसे भी हिन्दू धर्म अपने सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर यह व्यवस्था करनी होगी कि हम तुष्टीकरण की नीति को अपनाते समय राष्ट्रहित का सदा ध्यान रखें।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय हिन्दू–मुस्लिम एकता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रवृत्ति को राष्ट्रविभाजक मानते है। उनका मत है कि ''यदि हम एकता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीयता जो हिन्दू

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 10, October- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राष्ट्रीयता है तथा भारतीय संस्कृति जो हिन्दू संस्कृति है, का दर्शन करे। उसे मानदण्ड मानकर चले। भागीरथी की इस पुण्यधारा में सभी प्रवाहों का संगम होने दे।''[17] मा0 स0 गोवलकर की उपस्थिति में उन्होंने अपने अंतिम भाषण में यह कहा कि ''हिन्दू–मुस्लिम एकता के नारे लगानेवाले भूल गये कि हिन्दू एकता भी कोई चीज है। आज हिन्दू–मुस्लिम एकता होगी, तो मुसलमान को हिन्दू के साथ मिलना है। अतः हिन्दू का भी कोई अस्तित्व होना चाहिए इस बात को पहले स्वीकार कर ले कि हमारा राष्ट्रजीवन हिन्दू राष्ट्रजीवन है।''[18] डॉ0 लोहिया ने भी कहा है कि भारतीय संस्कृति हिन्दू संस्कृति रही है। परन्तु संवैधानिक प्रावधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित करता है। यहां धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी संस्कृति को ही किसी अन्य सम्प्रदाय द्वारा आहरण कर लिया जाये। हिन्दू मुस्लिम एकता होनी राष्ट्र हित में आवश्यक है। ऐसी एकता के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें अपनी इच्छाओं को हम पर प्रभावी न कर दें। इस तथ्य को समझते हुए किसी नीति का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार से जहाँ पं0 दीनदयाल उपाध्याय हिन्दू–मुस्लिम एकता को नकारते हैं, वहीं डॉ0 लोहिया हिन्दू–मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं वो इस एकता को राष्ट्र हित में आवश्यक मानते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. लोहिया, देश गरमाओ, पृ. 70.
2. लोहिया, भारत विभाजन के गुनहगार, पृ. 12.
3. लोहिया, हिन्दू और मुसलमान पु. 11.
4. लोहिया, भारत विभाजन के गुनहगार, पु. 12.
5. लोहिया, हिन्दू और मुसलमान पु. 5.
6. वही, पु. 5.
7. वही, पृ. 8.
8. डॉ0 महेश चन्द्रशर्मा, पं0 दीनदयाल उपाध्याय; कर्तृत्व एवं विचार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 2017, पृ. 285.
9. दीनदयाल उपाध्याय, 'भारतवर्ष की राष्ट्रीयता का आधार भारत की संस्कृति' (दिनांक 13.11.1953 को जलगांव के नागरिकों के सम्मुख भाषण); पांचजन्य, 30 नवंबर, 1953, पृ. 8.
10. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दिशा; अध्याय–15, गुरुपूजा : स्वदेशी विदेशी, संपादक : रमाशंकर अग्निहोत्री व भानु प्रताप शुक्ला, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2017, पृ. 134.
11. संघ–शिक्षा–वर्ग; बौद्धिक वर्ग पंजिका, दिल्ली, दिनांक–10.08.1961, दूसरा बौद्धिक वर्ग, पृ. 122.
12. दीनदयाल उपाध्याय, 'राष्ट्रचिंतन', अखंड भारत–साध्य और साधन, पृ. 35–36.
13. बौद्धिक–वर्ग–पंजिका, राजस्थान संघ–शिक्षा–वर्ग, राजस्थान; 28 मई, 1963, पृ. 5.
14. वही दिनांक 01 जून 1966.
15. दीनदयाल उपाध्याय, 'राष्ट्रजीवन की दिशा; अध्याय–15 : गुरुपूजा : स्वदेशी–विदेशी, राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन, लखनऊ, पृ. 160.
16. डॉ0 महेश चन्द्रशर्मा, पं0 दीनदयाल उपाध्याय; कर्तृत्व एवं विचार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 2017, पृ. 288–89.
17. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रचिंतन, अध्याय–6 : अखण्ड भारत : साध्य और साधन, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2014, पृ. 36.
18. दिल्ली में मा.स. गोलवलकर की उपस्थिति में दिया गया अंतिम भाषण; दीनदयाल शोध संस्थान, बौद्धिक वर्ग पंजिका, पृ. 13.